न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ (सीकर)

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 18/दावा /2019

1. बनारसी देवी पत्नि मालीराम जाति जाट निवासी सुतलियों की ढाणी तन मउ हाल आबाद रूलाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज0 ।

– वादी

ब ना म

1. कानाराम पुत्र गंगाराम जाति दरोगा
2. दातार सिंह
3. सुगन सिंह } पुत्रगण केशर सिंह
4. अनोप सिंह
5. प्रेमकंवर पत्नि मूल सिंह
6. संजयकंवर पुत्री मूल सिंह
7. ओम कंवर पुत्री मूल सिंह

समस्त निवासीगण रूलाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

8. तहसीलदार तहसील दांतारामगढ
9. बड़ौदा क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बाय तहसील दांतारामगढ जिलां सीकर जरिये शाखा प्रबंधक।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः

1. श्री रतनलाल जाट वकील वादी की ओर से
2. प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की ओर सें वकील श्री शिवपाल सिंह तथा शेष प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

दिनांक– 18.06.2019

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

बनारसी बनाम कानाराम

दावा दावा बंटवारा, उद्घोषण व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 18/दावा सन् 2019 निर्णय दिनांक. 18.06.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री रतनलाल जाट** मिनजानिब मुद्दई व **श्री शिवपाल सिंह** मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि तहसीलदार दांतारामगढ के पत्रांक भू0 अ0 19/1657 दिनांक 11.06.2019 के द्वारा प्राप्त बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस प्राप्त होने पर अंतिम डिक्री निम्न प्रकार सें जारी की जाती है–

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	लगान रूपये में
1	बनारसी देवी पत्नि मालीराम जाति जाट सा0 सुतलियों की ढाणी तनम उ तह0 श्रीमाधोपुर खातेदार	838/2 839/2	1.19 0.83	बारानी–3 बारानी–2	
		किता–2	2.02		
2	कानाराम द. पुत्र गंगाराम हि0 1/2 जाति दरोगा, दातार सिंह पुत्र केशर सिंह हि0 1/8 राहिन सुगनसिंह अनोपसिंह पुत्र केशरसिंह हि0 1/4 BRKGB शाखा बाय मूर्तहिन प्रेमकंवर पत्नि मूलसिंह संजयकंवर ओमकंवर पुत्रियां मूलसिंह हि0 1/8 जाति राजपूत खातेदार	836 837 838/1 839/1	2.05 1.81 0.10 0.09	बारानी–2 बारानी–2 बारानी–3 बारानी–2	
		किता–4	4.05		

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसबब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.06.2019 को जारी की गई।

मोहर दस्तखत ओहदा

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा ...	6	00	स्टाम्प वकालतनामा .	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी ...		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील ...	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर ...		
फीस कमिश्नर	–	–	बावत इजराय हुक्मनामा . ..		
बाबत इजराय हुक्मनामा ...	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक ...	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ (सीकर)

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 18/19/दावा /

1. बनारसी देवी पत्नि मालीराम जाति जाट निवासी सुतलियों की ढाणी तन मउ हाल आवाद रूलाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज0 ।

– वादी

व ना म

1. कानाराम पुत्र गंगाराम जाति दरोगा
2. दातार सिंह
3. सुगन सिंह } पुत्रगण केशर सिंह
4. अनोप सिंह
5. प्रेमकंवर पत्नि मूल सिंह
6. संजयकंवर पुत्री मूल सिंह
7. ओम कंवर पुत्री मूल सिंह
   समस्त निवासीगण रूलाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
8. तहसीलदार तहसील दांतारामगढ
9. बड़ौदा क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरिये शाखा प्रबंधक।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा,स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

उपस्थितिः

1. श्री रतनलाल जाट वकील वादी की ओर सें।
2. प्रतिवादी सं0 1 व 3 की ओर सें वकील श्री शिवपाल सिंह तथा शेष प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

दिनांक–27.05.2019

1 वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमियां ख0 नं0 836 रकबा 2.05 है0, ख0 नं0 837 रकबा 1.81 है0, ख0नं0 838 रकबा 1.29 है0, ख0नं0 839 रकबा 0.92 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 6.07 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम रूलाणा तहसील दांतारामगढ में अवस्थित है जिनमें वादिनी का 1/3 हक हिस्सा है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 का है। उक्त भूमियों कर मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा अपने हिस्से पर काबिज है। बाहमी बंटवारे के अनुसार वादिनी के हक हिस्से में भूमि खसरा नम्बर 838, 839 रकबा 2.21 हैक्टेयर आई हुई है।वादिनी के हिस्से में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से सें ज्यादा रकबा बाहमी बंटवारे में आया हुआ है क्योंकि वादीया का बाहमी बंटवारे में रोड़ साईड पर फ्रंट का रकबा कम है तथा पीछे की दिशा में रकबा ज्यादा है।उक्त बाहमी बंटवारा करीबन 15–20 साल पूर्व ही हो गया था तथा वादिया ने अपने हिस्से में कुआ वनाकर विघुत कनेक्शन लेकर मकान भी बना रखा है। प्रतिवादीगण बंटवारा कराने सें टालमटोल करते रहते है जिससें वादिया को अपने हिस्से की भूमि पर राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता राशियों के लिए कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। तथा प्रतिवादीगण उक्त भूमियों को वेस्ट डेमेज करने की कुचेष्टाओं में लगे है जिसके कारण

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

वादकरण प्रस्तुत करना पडा है। अतः वाहमी वंटवारे के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में वंटवारा किया जाकर वादिया को उसके हक हिस्से की भूमियों को वादिया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें।

2 वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलव किया गया। प्रतिवादी सं0 1 व 3 की ओर सें वकील श्री शिवपाल सिंह उपस्थित आये तथा शेष प्रतिवादीगण वावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के अधिवक्ता द्वारा वाई मीट्स एण्ड वाउण्डस वंटवारा करने पर सहमति जाहिर की गई।

3 हमने वादी योग्य अभिभाषकगणों की वहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। वादपत्र में उपराक्त वर्णित भूमियों पर वादी संयुक्त खातेदार व काविज काश्तकार है जो विधिवत बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस वंटवारा चाहने का अधिकारी है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि विवादित कृषि आराजियात ग्राम रूलाणा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर के मौके व रिकार्ड अनुसार वाई मिट्स एण्ड वाउण्ड्स किये जाने हेतु भू.अभिलेख निरीक्षक खाचरियावास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है तथा प्राथमिक डिक्री निम्न शर्तो के अनुसार जारी की जाती है:

1 यदि पक्षकारान ने बाहमी बंटवारा कर अपने अपने हि0 पर काबिज चले आ रहे है तो उसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवावें।
2 पक्षकरान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।
3 यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 द्वारा पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना संभव नही हो तो उपरोक्त वर्णित आराजी का पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रैश में प्रस्तावित बंटवारा दर्शाते हुऐ बटा नम्बर डालकर प्रस्ताव तहसीलदार दांतारामगढ के माध्यम से भिजवावें तथा पक्षकारान को नोटिस देकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में नियत तिथि दिंनाक 04.06.2019 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर दो प्रति प्रस्ताव के साथ भिजवावें ।

उपरोक्त प्राथमिक डिक्री जारी हो वादी मौका कमिश्नर फीस 500/–रू0 अदा करेगें। इस पत्रावली में तहरीर जारी होकर वंइन्तजार बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा के दिंनाक 27.05.2019 को पेश हो।

यह आदेश आज दिंनाक 27.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ (सीकर)
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 18 / 19 / दावा /

1. बनारसी देवी पत्नि मालीराम जाति जाट निवासी सुतलियों की ढाणी तन मउ हाल आबाद रूलाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज0 ।

– वादी

व ना म

1. कानाराम पुत्र गंगाराम जाति दरोगा
2. दातार सिंह
3. सुगन सिंह } पुत्रगण केशर सिंह
4. अनोप सिंह
5. प्रेमकंवर पत्नि मूल सिंह
6. संजयकंवर पुत्री मूल सिंह
7. ओम कंवर पुत्री मूल सिंह
   समस्त निवासीगण रूलाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
8. तहसीलदार तहसील दांतारामगढ
9. बड़ौदा क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा वाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरिये शाखा प्रबंधक।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा,स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ
दावा बाबत बंटवारा,स्थाई निषेधाज्ञा व रिकॉर्ड संशोधन

उपस्थितिः
1.श्री रतन लाल जाट वकील वादी की ओर से
2.प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर सें वकील श्री शिवपाल सिंह तथा शेष प्रतिवादीगणों के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही ।

निर्णय

दिनांक–27.05.2019

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

प्राथमिक डिकरी व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी , मुकाम दांतारामगढ
इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

बनारसी देवी बनाम कानाराम आदि

दावा बाबत, बंटवारा स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 18/दावा सन् 2019 निर्णय दिनांक 27.05.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** वहाजरी **रतन लाल जाट** मिनजानिब मुद्दई व श्री **शिवपाल सिंह** मुद्दालह पेश होकर हुकम दिया जाता है, वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है कि विवादित कृषि आराजियात भूमि ख0 नं0 836 रकबा 2.05 है0, ख0 नं0 837 रकबा 1.81 है0, ख0नं0 838 रकबा 1.29 है0, ख0नं0 839 रकबा 0.92 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 6.07 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम रूलाणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का वाई मीट्स एण्ड वाउण्डस बंटवारा किये जाने हेतु भू.अ.नि. खाचरियावास को मौका कमिश्नर नियुक्त कर प्राथमिक डिकी निम्नांकित शर्तो पर जारी की जाती है :–

1. यदि पक्षकारान ने बाह्मी बंटवारा कर अपने अपने हि0 पर काबिज चले आ रहे है तो उसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवावें।
2. पक्षकरान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।
3. यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 द्वारा पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना संभव नही हो तो उपरोक्त वर्णित आराजी का पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रैश में प्रस्तावित बंटवारा दर्शाते हुऐ बटा नम्बर डालकर प्रस्ताव तहसीलदार दांतारामगढ के माध्यम से भिजवावें तथा पक्षकारान को नोटिस देकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में नियत तिथि दिंनाक 04.06.2019 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर दो प्रति प्रस्ताव के साथ भिजवावें ।

बीज .... मुवलिग .... बावत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयावी तक ....को अदा करें। वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.05.2019 को जारी की गई।

दस्तखत ओहदा
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	–	00		0	00
मीजान	7	00	मीजान	0	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner